

कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़
इंद्रावती भवन "सी" ब्लॉक तृतीय तल, नया रायपुर

कमॉक 3662 / तक / पंजी. / टीसी / 2017
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 07/10/20

1. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,
रायपुर / जगदलपुर /
बिलासपुर / अम्बिकापुर
2. अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,
दुर्ग / राजनांदगाँव
3. जिला परिवहन अधिकारी,
कबीरधाम / कांकेर / महासमुंद / धमतरी / कोरबा / दंतेवाड़ा
जांजगीर-चांपा / रायगढ़ / कोरियाच / जशपुर / गरियाबंद /
बलौदाबाजार / मुंगेली / बालोद / बेमेतरा / कोण्डागांव / सूरजपुर, छ0ग0।

विषय:- M/S PARAG MOTORS द्वारा नवनिर्मित Variant- ATLAS 1000 (E-Rickshaw) एवं (E-Cart) वाहन को छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीयन की अनुमति बाबत।

संदर्भ:- M/S PARAG MOTORS का आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2017

—000—

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184-क के तहत M/S PARAG MOTORS द्वारा नवनिर्मित Variant- ATLAS 1000 (E-Rickshaw) एवं (E-Cart) वाहन को छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीयन की अनुमति दिये जाने हेतु आवेदन परिवहन मुख्यालय में प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र के साथ विहित शुल्क (फीस) रु. 9000/- Online Bank Transaction ID क्रमांक 6CG2109174087236 दिनांक 21.09.2017 द्वारा जमा किये जाने संबंधि प्रति संलग्न की गई है। वाहन का विवरण निम्नानुसार है:-

स क्र	वाहन निर्माता का नाम	वाहन का मॉडल	वाहन का प्रकार
01	M/S PARAG MOTORS	CIRT/CMVR/TA/2017/V01080/R773 Date:24/08/2017 Variant; - 1. ATLAS 1000 Type; - (E- Rickshaw) Seating Capacity(Incl.driver):- 4+1 (Driver) GVW:-711 kg. Variant; - 2. JAGUAR 1000 Type; - (E- Rickshaw) Seating Capacity(Incl.driver):- 4+1 (Driver) GVW:-718 kg. Variant; - 3. BULLY 1000 Type; - (E- Rickshaw) Seating Capacity(Incl.driver):- 4+1 (Driver) GVW:-712 kg. Variant; - 4. SULTAN 1000 Type; - (E- Rickshaw) Seating Capacity(Incl.driver):- 4+1 (Driver) GVW:-717 kg. Variant; - 5. HIPPO 1000 Type; - (E-CART) Seating Capacity(Incl.driver):- 1 (Driver) GVW:-708 kg. Variant; - 6. CHHOTA HATHI Type; - (E- CART) Seating Capacity(Incl.driver):- 1 (Driver) GVW:-708 kg.	Special Purpose Battery Operated Three Wheeler

निरंतर



//2//

By Ragh

उपरोक्त वाहन मॉडल के संबंध में प्रोटोटाईप जिस प्रकार से प्रमाणित है। मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 में विहित प्रावधानों तथा वाहन मॉडल के संबंध में प्रोटोटाईप के अनुसार पंजीयन करना सुनिश्चित करें।
(परिवहन आयुक्त द्वारा आदेशित)

[Signature]
7.10.17

(श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा)

उप-परिवहन आयुक्त

छत्तीसगढ़, रायपुर
नया रायपुर, दिनांक 07/10/2017

कमॉक 3662(1A)
/तक/पंजी./टीसी/2017
प्रतिलिपि:-

1. ✓ M/S PARAG MOTORS, 193, G.T. Road (N) Salkia, Block Municipality, Howrah, West Bengal- 711106 की ओर उनके आवेदन दिनांक 21.09.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. NIC Raipur, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. स्मार्ट चिप लिमिटेड परिवहन आयुक्त कार्यालय परिसर बस स्टेण्ड परिसर पण्डरी रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



[Signature]
उप-परिवहन आयुक्त 10.17
छत्तीसगढ़, रायपुर